

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 03/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा जिला बारों



(प्रार्थी)

बनाम

- 1- श्री प्रताप पुत्र भैरु धाकड निवासी कुण्डी तहसील छबडा जिला बारों (मृतक) कायम मुकामान
- 1/1 रामरतन पुत्र स्व. प्रताप जाति धाकड निवासी कडैयानोहर तह. छबडा जिला बारों
- 1/2 पप्पु पुत्र स्व. प्रताप जाति धाकड निवासी कुण्डी तह. छबडा जिला बारों
- 1/3 रामकल्याण पुत्र स्व. प्रताप जाति धाकड निवासी कुण्डी तह. छबडा जिला बारों
- 1/4 भंवरी पत्नि स्व. प्रताप जाति धाकड निवासी कुण्डी छबडा जिला बारों
- 1/5 शान्ती बाई पुत्री स्व. प्रताप जाति धाकड निवासी कुण्डी छबडा जिला बारों (मृतक लाऔलाद)
- 1/6 कान्ती बाई पुत्री स्व. प्रताप जाति धाकड निवासी कुण्डी छबडा जिला बारों (मृतक) का.मु.
- 6/1 चन्द्रसेन पुत्र स्व. कान्ती जाति धाकड निवासी कडैयानोहर तह. छबडा जिला बारों
- 6/2 अशोक पुत्र स्व. कान्ती जाति धाकड निवासी कडैयानोहर तह. छबडा जिला बारों

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- परोकार सरकार

(प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 10.06.2019

प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार छबडा ने रेफरेंस केस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुण्डी तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 400 की रकबा 0.10 बिस्वा किस्म वा0 111/गैर मुमकीन नाला मुताबिक रेकार्ड खतौनी बन्दोवस्त सम्वत् 2012-2031 मे खाता सरकार मे सिवायचक दर्ज रेकार्ड थी। उपरोक्त वर्णित भूमि भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व 88 (2) के अनुसार सरकार के स्वामित्व की ही भूमि है तथा ऐसी भूमियों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 मे किसी भी प्रकार से आवंटन/नियमन करना वर्जित है।

उक्त ग्राम कुण्डी की भूमि खसरा नम्बर 400 की रकबा 0.10 दिनांक 16.10.1968 को उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा श्री प्रताप पुत्र भैरु जाति धाकड निवासी कुण्डी तहसील छबडा के हक मे नियमन/आवंटन किया गया है तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067-70 मे हैसियत खातेदार श्री प्रताप पुत्र भैरु जाति धाकड निवासी कुण्डी तहसील छबडा के नाम दर्ज है।

उपरोक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत् स्थिति मे दर्ज किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि उपरोक्त आवंटन को खारिज फरमावे। ताकि भूमि को पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज किया जा सके।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर रेफरेंस दिनांक 21.2.2013 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ज सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी के फोट होने की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार छबडा से अप्रार्थी के कायम मुकामान की सूची चाही गई। जिसके प्राप्त होने पर अप्रार्थी के कायम मुकामान को जर्ज सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी के कायम मुकामान इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में बहस एकपक्षीय सरकार पक्ष की सुनी गई।

बहस के दौरान परोकार सरकार ने कहा कि जो भूमि किस्म गैर मुमकीन नाला अप्रार्थी को आवंटन की गई है। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य नहीं है। रेकार्ड व मौके पर विवादित भूमि गैर मुमकीन नाला अवस्थित है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पालना की जा सके।

हमने परोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया, अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई भूमि ग्राम कुण्डी जिसके खसरा नम्बर 400 की रकबा 0.10 है। जो किस्म गैर मुमकीन नाला था, वह भी विद्यमान है। वह आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। उक्त रकबा अप्रार्थी को किस्म गैर मुमकीन नाला का आवंटन/नियमन किया गया है, जो विधि अनुरूप न होने से प्रारम्भतः ही निरस्त योग्य है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 से ऐसी आराजी को पुनः पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिये हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ज तहसीलदार छबडा द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य माना जाकर ग्राम कुण्डी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 400 की रकबा 0.10 बिस्वा, भूमि किस्म गैरमुमकीन नाला अप्रार्थी को नियमन/आवंटन की गई है। जिसको निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस मूल प्रार्थना पत्र बाद अनुशंसा माननीय न्यायालय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो। तहसीलदार छबडा को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर, राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस प्रस्तुत करवाकर प्रकरण में सावचेत होकर पैरवी करना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( सुदर्शन सिंह तोमर )  
अति० जिला कलक्टर, बारां